

३


फर्द अहकाम

शांतिदेवी बनाम हनुमान कर्ज

पालय

था 07/08

बाजदायरी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/6/18	<p>आज यह पञ्जावली न्याय आपके ऊपर कम्प केई गाम लखनोदा से पेशा हुई अपाधी सु. 1 व 9 लयअप कसु हेतु समय-पाए के पुनः न्यायादेत मे एक ओर आनीम सबसुर घिया जाला के पञ्जावली कासे कसु बिन्दु 22/6/18 के पेशा के ॥</p>	<p>(Signature)</p>
22/6/18	<p>पञ्जावली पेशा हुई व.फ. उपो/करीण अपाधी कसु हेतु समय-पाए के पुनः न्यायादेत मे सबसुर डिघा जाला के आगामी पेशा पर कसु नहीं काने पर पञ्जावली से गुणगुण के आधार पर विनिध काले डिघा जावेगा। पञ्जावली कासे कसु बिन्दु 24/7/18 के पेशा के ॥</p>	
24/7/18	<p>पञ्जावली पेशा हुई व.फ. उपो/करीण अपाधी कसु हेतु समय-पाए के करीण अपाधी ने कभन किया कि बिन्दु 12/3/15 को प्रापज का मु 1500। सभरे पन्डत से कपये पर की कोस पर खीका किया गया था किन्तु अमीन क कोस राखी अदा नहीं की गई है कोस बाकी अदा काने काने के बाद ही कसु कामे का निवेदन किया गया। जिस पर करीण प्रापिया का कभन है कि आज प्रापिया अफ नही है। पञ्जावली का अवेलेकन किया गया। प्रापज का मु 1500 का विनिध ॥</p>	

क्र.नं. 07/08 शांतिदेवी v/s हनुमान सहायक

12/3/15 को 15000 रुपये की कोर्ट पर
स्वीकार किया गया और कोर्ट शांतिदेवी
अदा नहीं की गई है तथा न्यायालय आदेश
की पालना नहीं जा रही है कलकत्ता
प्रयत्न अवसर दिये जा चुके हैं न्यायाधीश
श्री भी अवसर दिये जा चुके हैं जिसे
बावजूद भी कलकत्ता नहीं की गई है जिससे
यह प्रतीत होता है कि प्राथमिक प्राप्ति
को हाथ-पंजाब की बचक नहीं है
अनाबख्तु प्रमाण में प्रिलम्ब किया
जा रहा है और प्राप्ति स्वरूप किया
जाना उचित प्रतीत होता है प्राप्ति
स्वरूप किया जाना है प्राप्ति फल
शुभा के लिए उक्त नम्बर से क्रम है तथा
दार्शनिक रूप से

सहायक कलक्टर
बौध (जयपुर)